राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संग्रह : SHSB/GA/Legal/4660/2020/9624

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी सिविल सर्जन
बिहार।

पटना, दिनांक : 25/03/2020

विषयः Home Quarantine से संबंधित दिशा–निर्देश का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पूर्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Home Quarantine से संबंधित दिशा–निर्देश की प्रति आपको उपलब्ध कराई गई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए जनमानस में Home Quarantine पर व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। आप अवगत हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर से आया हो अथवा विगत 14 दिनों में राज्य के बाहर से अथवा ऐसे क्षेत्रों से वापस आएँ हैं, जो COVID-19 से संक्रमित हो अथवा ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हों अथवा COVID-19 संक्रमण वाले व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास चिन्हित क्लस्टर में निवास करते हों, तो ऐसे व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए Home Quarantine में रहना ही श्रेयस्कर है।

Home Quarantine से संबंधित दिशा–निर्देश :–

क्या करना है :

1. ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को अपने घर में अपने परिवार से अलग हवादार कमरे में निवास करना चाहिए जिसके साथ बाथरूम एवं टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध हो। अगर परिवार के अन्य सदस्यों को उसी कमरे में रहने मजबूरी हो तो पीड़ित व्यक्ति से हर समय एक मीटर की दूरी बनाये रखना चाहिए।
2. पीड़ित व्यक्तियों से बड़े–बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चे तथा हृदय रोगी, निमोनिया, दमा, मधुमेह, किडनी, उच्च रक्तचाप आदि के मरीज बिल्कुल अलग रहना चाहिए।
3. पीड़ित मरीजों को निरंतर मास्क का उपयोग करना है। उक्त मास्क को प्रत्येक 6–8 घंटे पर बदलना है तथा उपयोग किये गये मास्क को अच्छी तरह dispose करना आवश्यक है।
4. ऐसे व्यक्ति साफ–सफाई पर पूर्ण ध्यान देते हुए निरंतर अपने हाथों को साबुन, हैंड वाश अथवा अल्कोहलयुक्त सेनेटाईजर से साफ करते रहें।
5. संदिग्ध व्यक्ति के इस्तेमाल किये गये कपड़े को परिवार के अन्य कपड़ों से अलग डिटरजेंट से साफ करने के बाद एवं अलग से सूखा कर ही उपयोग में लाया जाना चाहिए।
6. घर के किसी एक ही व्यक्ति को उसकी देख–रेख हेतु चिन्हित करें और संदिग्ध व्यक्ति से हमेशा एक निश्चित दूरी बनाये रखें।

7. संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आये तथा उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे सभी सामग्रियों यथा–कपड़े, बर्तन, सतह, टॉयलेट, कमरा, आदि को डिटरजेंट, लाईजोल, डिटॉल आदि से disposable gloves का इस्तेमाल कर साफ करते रहें। कमरे के प्रत्येक कोने, सिलिंग इत्यादि को भी अच्छी तरह से निरंतर साफ करते रहें। Gloves इस्तेमाल के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें।
8. अगर कोई लक्षण जैसे कि बुखार, खाँसी, साँस लेने में तकलीफ महसूस हो तो तुरंत टॉल फ्री नं0 104 अथवा अपने जिले के जिला नियंत्रण कक्ष के नम्बर पर सम्पर्क कर चिकित्सीय सलाह प्राप्त करें।

क्या नहीं करना है :

1. किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर नहीं निकले, न ही भीड़–भाड़ वाली जगह, किसी धार्मिक स्थल, शादी–विवाह, शोकसभा, श्राद्ध आदि में शामिल नहीं हो और न ही अपने परिवार एवं आस–पास के लागों से मिले।
2. संदिग्ध व्यक्ति घर के ऐसे किसी अन्य सामग्री को स्पर्श नहीं करें, न ही घर के किसी अन्य सदस्य को छूएँ ताकि कोई संक्रमित न हो जाए।
3. घरेलू सामग्री यथा–बर्तन, कपड़े, बेड आदि घर के किसी दूसरे सदस्य के साथ बिल्कुल ही साझा नहीं करें।
4. संदिग्ध व्यक्ति द्वारा गंदे कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए।

Home Quarantine में रहने की स्थिति में यह अवधि कुल 14 दिनों की होगी अथवा संदिग्ध व्यक्ति का लेबोरेटरी जाँच हेतु भेजे गये नमूना के नकारात्मक घोषित होने तक की होगी।

अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत इन दिशा–निर्देशों का जनमानस में व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

सुलभ प्रसंग हेतु दिशा–निर्देश की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/3/20

(मनोज कुमार)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

सं०स० : SHSB/GA/Legal/4660/2020/……………

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी सिविल सर्जन
बिहार।

पटना, दिनांक : / /2020

विषयः Home Quarantine से संबंधित दिशा–निर्देश का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पूर्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Home Quarantine से संबंधित दिशा–निर्देश की प्रति आपको उपलब्ध कराई गई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए जनमानस में Home Quarantine पर व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। आप अवगत हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर से आया हो अथवा विगत 14 दिनों में राज्य के बाहर से अथवा ऐसे क्षेत्रों से वापस आएँ हैं, जो COVID-19 से संक्रमित हो अथवा ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हों अथवा COVID-19 संक्रमण वाले व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास चिन्हित क्लस्टर में निवास करते हों, तो ऐसे व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए Home Quarantine में रहना ही श्रेयस्कर है।

Home Quarantine से संबंधित दिशा–निर्देश :–

क्या करना है :

1. ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को अपने घर में अपने परिवार से अलग हवादार कमरे में निवास करना चाहिए जिसके साथ बाथरूम एवं टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध हो। अगर परिवार के अन्य सदस्यों को उसी कमरे में रहने मजबूरी हो तो पीड़ित व्यक्ति से हर समय एक मीटर की दूरी बनाये रखना चाहिए।
2. पीड़ित व्यक्तियों से बड़े–बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चे तथा हृदय रोगी, निमोनिया, दमा, मधुमेह, किडनी, उच्च रक्तचाप आदि के मरीज बिल्कुल अलग रहना चाहिए।
3. पीड़ित मरीजों को निरंतर मास्क का उपयोग करना है। उक्त मास्क को प्रत्येक 6–8 घंटे पर बदलना है तथा उपयोग किये गये मास्क को अच्छी तरह dispose करना आवश्यक है।
4. ऐसे व्यक्ति साफ–सफाई पर पूर्ण ध्यान देते हुए निरंतर अपने हाथों को साबुन, हैंड वाश अथवा अल्कोहलयुक्त सेनेटाईजर से साफ करते रहें।
5. संदिग्ध व्यक्ति के इस्तेमाल किये गये कपड़े को परिवार के अन्य कपड़ों से अलग डिटरजेंट से साफ करने के बाद एवं अलग से सूखा कर ही उपयोग में लाया जाना चाहिए।
6. घर के किसी एक ही व्यक्ति को उसकी देख–रेख हेतु चिन्हित करें और संदिग्ध व्यक्ति से हमेशा एक निश्चित दूरी बनाये रखें।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाषः 0612–2290328, फैक्सः 0612–2290322, वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

7. संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आये तथा उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे सभी सामग्रियों यथा–कपड़े, बर्तन, सतह, टॉयलेट, कमरा, आदि को डिटरजेंट, लाईजोल, डिटॉल आदि से disposable gloves का इस्तेमाल कर साफ करते रहें। कमरे के प्रत्येक कोने, सिलिंग इत्यादि को भी अच्छी तरह से निरंतर साफ करते रहें। Gloves इस्तेमाल के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें।
8. अगर कोई लक्षण जैसे कि बुखार, खाँसी, साँस लेने में तकलीफ महसूस हो तो तुरंत टॉल फ्री नं0 104 अथवा अपने जिले के जिला नियंत्रण कक्ष के नम्बर पर सम्पर्क कर चिकित्सीय सलाह प्राप्त करें।

क्या नहीं करना है :

1. किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर नहीं निकले, न ही भीड़–भाड़ वाली जगह, किसी धार्मिक स्थल, शादी–विवाह, शोकसभा, श्राद्ध आदि में शामिल नहीं हो और न ही अपने परिवार एवं आस–पास के लागों से मिले।
2. संदिग्ध व्यक्ति घर के ऐसे किसी अन्य सामग्री को स्पर्श नहीं करें, न ही घर के किसी अन्य सदस्य को छूएँ ताकि कोई संक्रमित न हो जाए।
3. घरेलू सामग्री यथा–बर्तन, कपड़े, बेड आदि घर के किसी दूसरे सदस्य के साथ बिल्कुल ही साझा नहीं करें।
4. संदिग्ध व्यक्ति द्वारा गंदे कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए।

Home Quarantine में रहने की स्थिति में यह अवधि कुल 14 दिनों की होगी अथवा संदिग्ध व्यक्ति का लेबोरेटरी जाँच हेतु भेजे गये नमूना के नकारात्मक घोषित होने तक की होगी।

अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत इन दिशा–निर्देशों का जनमानस में व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

सुलभ प्रसंग हेतु दिशा–निर्देश की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(मनोज कुमार)

ज्ञापांक :9624.......... पटना, दिनांक: 25/03/2020

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

25/3

कार्यपालक निदेशक